



उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

निकट स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, डाण्डा लाखौण्ड, पो0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून, 248013

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org, Phone : 0135-2608566(O)

विज्ञापन संख्या: उ0चि0से0च0बोर्ड/परी0(प्रो०/एसो०प्रो०/अ०प्रो०)/80/2019-20/160

दिनांक: 06 मई, 2020

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेन्ट प्रोफेसर परीक्षा-2020

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	08 मई, 2020
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	-	08 मई, 2020
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	-	08 जून, 2020 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking /Debit Card/ Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	-	08 जून, 2020 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

01. रिक्तियों का विवरण- उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर के रिक्त पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल
प्रोफेसर	₹ 1,44,200- ₹ 2,18,200 (लेवल 15)	08	01	06	04	27	46
एसोसिएट प्रोफेसर	₹ 1,18,500- ₹ 2,14,100 (लेवल 13)	11	02	08	06	34	61
असिस्टेन्ट प्रोफेसर मेडिकल फिजिसिस्ट (रेडियेशन फीजिक्स विभाग)	₹ 67,700- ₹ 2,08,700 (लेवल 11)	00	00	00	00	02	02

02. क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नानुसार है-

• प्रोफेसर:-

क्र० सं०	श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित 02%	पूर्व सैनिक 05%	दिव्यांगजन (पी0एच0) 04%	अन्य	कुल
1	अनुसूचित जाति	02	00	00	00	06	08
2	अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00	01	01
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	00	00	00	05	06
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00	00	00	03	04
5	अनारक्षित	08	00	01	01	17	27
कुल पद							46

• एसोसिएट प्रोफेसर:-

क्र० सं०	श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित 02%	पूर्व सैनिक 05%	दिव्यांगजन (पी०एच०) 04%	अन्य	कुल
1	अनुसूचित जाति	03	00	00	00	08	11
2	अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00	02	02
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	00	00	00	06	08
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00	00	00	05	06
5	अनारक्षित	10	00	01	01	22	34
कुल पद							61

• असिस्टेन्ट प्रोफेसर:-

क्र० सं०	श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित 02%	पूर्व सैनिक 05%	दिव्यांगजन (पी०एच०) 04%	अन्य	कुल
1	अनुसूचित जाति	00	00	00	00	00	00
2	अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00	00	00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00	00	00
5	अनारक्षित	00	00	00	00	02	02
कुल पद							02

03. विषयवार पदों की संख्या-

• प्रोफेसर

क्र० सं०	विभाग	कुल पदों की संख्या	रोस्टरवार पद क्रमांक	अनुसूचित जाति (19%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (14%)	अनुसूचित जनजाति (04%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)	अनारक्षित
1	Anaesthesiology	02	1	-	-	-	-	1
			2	-	-	-	-	1
2	Anatomy	02	3	-	-	-	-	1
			4	-	-	-	-	1
3	Biochemistry	02	5	-	-	-	-	1
			6	1	-	-	-	-
4	Blood Bank	02	7	-	-	-	-	1
			8	-	1	-	-	-
5	Community Medicine	02	9	-	-	-	-	1
			10	-	-	-	1	-
6	Dentistry	02	11	1	-	-	-	-
			12	-	-	-	-	1
7	E.N.T.	02	13	-	-	-	-	1
			14	-	-	-	-	1
8	Forensic Medicine	02	15	-	1	-	-	-
			16	1	-	-	-	-
9	General Medicine	02	17	-	-	-	-	1
			18	-	-	-	-	1

क्र० सं०	विभाग	कुल पदों की संख्या	रोस्टरवार पद क्रमांक	अनुसूचित जाति (19%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (14%)	अनुसूचित जनजाति (04%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)	अनारक्षित
10	General Surgery	02	19	-	-	-	-	1
			20	-	-	-	1	-
11	Microbiology	02	21	1	-	-	-	-
			22	-	1	-	-	-
12	Obst & Gynae	02	23	-	-	-	-	1
			24	-	-	-	-	1
13	Ophthalmology	02	25	-	-	1	-	-
			26	-	-	-	-	1
14	Orthopaedics	02	27	1	-	-	-	-
			28	-	-	-	-	1
15	Paediatric	02	29	-	1	-	-	-
			30	-	-	-	1	-
16	Pathology	02	31	-	-	-	-	1
			32	1	-	-	-	-
17	Pharmacology	02	33	-	-	-	-	1
			34	-	-	-	-	1
18	Physical Medicine	02	35	-	-	-	-	1
			36	-	1	-	-	-
19	Physiology	02	37	1	-	-	-	-
			38	-	-	-	-	1
20	Psychiatry	01	39	-	-	-	-	1
21	Radiology	02	40	-	-	-	1	-
			41	-	-	-	-	1
22	Radiotherapy	02	42	1	-	-	-	-
			43	-	1	-	-	-
23	Skin VD	01	44	-	-	-	-	1
24	TB Chest	02	45	-	-	-	-	1
			46	-	-	-	-	1
Grand Total		46		8	6	1	4	27

• एसोसिएट प्रोफेसर

क्र० सं०	विभाग	कुल पदों की संख्या	रोस्टरवार पद क्रमांक	अनुसूचित जाति (19%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (14%)	अनुसूचित जनजाति (04%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)	अनारक्षित
1	Anaesthesiology	04	1	-	-	-	-	1
			2	-	-	-	-	1
			3	-	-	-	-	1
			4	-	-	-	-	1
2	Anatomy	03	5	-	-	-	-	1
			6	1	-	-	-	-
			7	-	-	-	-	1
3	Biochemistry	02	8	-	1	-	-	-
			9	-	-	-	-	1

क्र० सं०	विभाग	कुल पदों की संख्या	रोस्टरवार पद क्रमांक	अनुसूचित जाति (19%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (14%)	अनुसूचित जनजाति (04%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)	अनारक्षित	
4	Community Medicine	04	10	-	-	-	1	-	
			11	1	-	-	-	-	
			12	-	-	-	-	1	
			13	-	-	-	-	1	
5	Dentistry	01	14	-	-	-	-	1	
6	E.N.T.	02	15	-	1	-	-	-	
			16	1	-	-	-	-	
7	Forensic Medicine	01	17	-	-	-	-	1	
8	General Medicine	07	18	-	-	-	-	1	
			19	-	-	-	-	1	
			20	-	-	-	1	-	
			21	1	-	-	-	-	
			22	-	1	-	-	-	
			23	-	-	-	-	-	1
			24	-	-	-	-	-	1
9	General Surgery	08	25	-	-	1	-	-	
			26	-	-	-	-	1	
			27	1	-	-	-	-	
			28	-	-	-	-	1	
			29	-	1	-	-	-	
			30	-	-	-	1	-	
			31	-	-	-	-	1	
			32	1	-	-	-	-	
10	Microbiology	02	33	-	-	-	-	1	
			34	-	-	-	-	1	
11	Obst & Gynae	03	35	-	-	-	-	1	
			36	-	1	-	-	-	
			37	1	-	-	-	-	
12	Ophthalmology	02	38	-	-	-	-	1	
			39	-	-	-	-	1	
13	Orthopaedics	03	40	-	-	-	1	-	
			41	-	-	-	-	1	
			42	1	-	-	-	-	
14	Paediatric	03	43	-	1	-	-	-	
			44	-	-	-	-	1	
			45	-	-	-	-	1	
15	Pathology	05	46	-	-	-	-	1	
			47	-	-	-	-	1	
			48	1	-	-	-	-	
			49	-	-	1	-	-	
			50	-	-	-	1	-	
16	Pharmacology	02	51	-	1	-	-	-	
			52	-	-	-	-	1	

क्र० सं०	विभाग	कुल पदों की संख्या	रोस्टरवार पद क्रमांक	अनुसूचित जाति (19%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (14%)	अनुसूचित जनजाति (04%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)	अनारक्षित
17	Physiology	02	53	1	-	-	-	-
			54	-	-	-	-	1
18	Psychiatry	02	55	-	-	-	-	1
			56	-	-	-	-	1
19	Radi-daignosis	02	57	-	1	-	-	-
			58	1	-	-	-	-
20	Radiotherapy	01	59	-	-	-	-	1
21	Skin VD	02	60	-	-	-	1	-
			61	-	-	-	-	1
Grand Total		61		11	8	2	6	34

- असिस्टेंट प्रोफेसर (मेडिकल फिजिसिस्ट)

क्र० सं०	विभाग	कुल पदों की संख्या	रोस्टरवार पद क्रमांक	अनुसूचित जाति (19%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (14%)	अनुसूचित जनजाति (04%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)	अनारक्षित
1	Radiation Physics	02	1	-	-	-	-	1
			2	-	-	-	-	1

04. पद का स्वरूप— राजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त।

05. वेतनमान—

- प्रोफेसर : ₹ 1,44,200-₹ 2,18,200 (लेवल 15)
- एसोसिएट प्रोफेसर : ₹ 1,18,500-₹ 2,14,100 (लेवल 13)
- असिस्टेंट प्रोफेसर : ₹ 67,700-₹ 2,08,700 (लेवल 11)

06. शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हतायें—

As per latest MCI-TEQ Regulations - Minimum qualifications for teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 as Amended time to time upto 17 February, 2020.

अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने,

- (क) प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

07. अभ्यर्थी का देश की किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

नोट— नॉन क्लीनिकल विषयों में एम०एस०सी०—मेडिकल डिग्री धारित अभ्यर्थियों हेतु मेडिकल काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है।

08. आयु—

- प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर— आयु सीमा 30 से 50 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2019 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2019 को न्यूनतम 30 वर्ष तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, दिव्यांग व्यक्तियों को उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट अनुमन्य होगी, जितनी इस सम्बन्ध में समय-समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी

शासनादेशानुसार निर्धारित की गई हो। पूर्व सैनिकों को पूर्व सैनिकों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में भी उतनी छूट अनुमन्य होगी, जितनी शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेशों में विहित होगी।

- **असिस्टेन्ट प्रोफेसर:-** आयु सीमा 30 से 45 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2019 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2019 को न्यूनतम 30 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, दिव्यांग व्यक्तियों को उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट अनुमन्य होगी, जितनी इस सम्बन्ध में समय-समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशानुसार निर्धारित की गई हो। पूर्व सैनिकों को पूर्व सैनिकों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में भी उतनी छूट अनुमन्य होगी, जितनी शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेशों में विहित होगी।

09. राष्ट्रीयता- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 के पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केन्या, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी : जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

10. चरित्र- सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी: संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

11. वैवाहिक प्रास्थिति- पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से शिथिलता प्रदान कर सकेगी।

12. शारीरिक योग्यता- किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को राजपत्रित पद या सेवा के मामले में नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उसे निर्धारित मेडिकल बोर्ड से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

परन्तु दिव्यांग अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार शारीरिक योग्यता मान्य होगी।

13. आरक्षण— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा:

(क) लम्बवत् (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु बोर्ड की वेबसाईट www.ukmssb.org देखें।

(ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(ग) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(घ) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत किया गया हो। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या 310/XVIII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना आवश्यक है।

(ङ) जहाँ शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(च) दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। जिस-जिस दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-312/XXX(2)/17/30(5)/2014-TC दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, 196/XVII-2/2011-29 (स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011, दिव्यांग(पी0एच0), OL(One Leg Affected) या PB(Partially Blind) के अनुसार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों हेतु आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(छ) उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को शासनादेश संख्या: 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

14. अति महत्वपूर्ण निर्देश—

(01) अभ्यर्थी लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(02) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, अनुभव एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो।

अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो परीक्षाफल घोषित होने की तिथि हो।

विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।

(03) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी, आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(04) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(05) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा/माना जायेगा।

(06) ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना हाईस्कूल प्रमाण-पत्र, स्नातक उपाधि, परास्नातक उपाधि, सुपर स्पेशलिटी उपाधि (यदि कोई हो), पेपर प्रकाशन, अनुभव, अधिमानी अर्हता, लम्बवत् व क्षैतिज आरक्षण तथा स्थाई निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

(07) एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

15. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश-

(01) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जायें। ऑनलाईन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर दिनांक 08 मई, 2020 से उपलब्ध रहेगा।

(02) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने, आवश्यक अभिलेख संलग्न करने तथा ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 08 जून, 2020 (रात्रि 11:59:59 बजे) है।

(03) अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आवेदन करें।

(04) जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(05) ऑफलाईन/हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(06) अधूरे/अपूर्ण ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(07) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में अभ्यर्थी उक्त प्रविष्टियों को ठीक कर लें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में ही आवेदन पत्र के अंत में Submit Button पर क्लिक करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को ही अन्तिम माना जायेगा।

(08) अभ्यर्थी द्वारा अपना हाईस्कूल प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षिक, पेपर प्रकाशन, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव एवं अन्य अर्हताएं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(09) "You have successfully submitted your application for Professor/Associate Professor/Assistant Professor" का संदेश स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

(10) जो अभ्यर्थी तीनों पदों (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर) हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

16. ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रक्रिया:-

ऑनलाईन आवेदन भरने के तीन चरण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. Step 1: Registration Profile
2. Step 2: Application Submission
3. Step 3: Fees Payment

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने का विवरण:-

1. आवेदकों द्वारा UKMSSB की वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन भरने का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 2. आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाइट www.ukmssb.org पर Apply Now में जाकर दिये गये लिंक पर क्लिक कर Registration Profile बनाना अनिवार्य होगा।
 3. आवेदकों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाईल नम्बर का होना आवश्यक है।
 4. आवेदकों को Online Application Form में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव (Save) करना होगा।
 5. आवेदकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की 'ईमेज' को स्कैन कर अपलोड कराना होगा।
 - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी) (JPG Format)
 - स्कैन किये हुए हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी) (JPG Format)
 6. आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन पत्र हेतु शुल्क जमा करने से पूर्व निर्धारित स्थान पर अपने हाईस्कूल प्रमाण पत्र, शैक्षिक, पेपर प्रकाशन, अनुभव, स्थाई निवास(यदि हो), जाति प्रमाण पत्र आदि अपलोड किये जाने अनिवार्य हैं।
 7. अभ्यर्थी आवेदन Submit होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे।
 8. उस आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसमें आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।
 9. UKMSSB द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता:-
 - नेट बैंकिंग
 - डेबिट कार्ड
 - क्रेडिट कार्ड
17. **शुल्क**— अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु पर "Pay Fee" पर क्लिक करें तथा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क जमा करें—

क्र०सं०	श्रेणी / उपश्रेणी	आवेदन शुल्क (₹)
1	सामान्य / अनारक्षित (UR)	₹ 2,000 /—
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	₹ 1,000 /—
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	₹ 2,000 /—
4	अनुसूचित जाति (SC)	₹ 1,000 /—
5	अनुसूचित जनजाति (ST)	₹ 1,000 /—
6	दिव्यांगजन (PH)	₹ 1,000 /—

नोट:-

(1) उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी0एफ0एफ0) के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—सामान्य श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

- (2) उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक उप-श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- (3) परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
- (4) जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

18. साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश-

- (1) बोर्ड द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से सम्बन्धित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।
- (2) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, पेपर प्रकाशन, अनुभव, आरक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्रों के मूल अभिलेख प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे, साथ ही सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों के 02 स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति सहित बोर्ड कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में यथासमय अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति मात्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी।
- साक्षात्कार से पूर्व आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर प्रसारित की जायेगी।
- (3) अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जारी किये जायेंगे, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना होगा।
- (4) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिये यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है।
- (5) साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन पेजर, ब्लूटूथ, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है।
- (6) अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के दौरान अनुशासित आचरण की अपेक्षा की जाती है।
- (7) **अँगूठे का निशान-** सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
- (8) साक्षात्कार तिथि, समय के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश-पत्र द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही साक्षात्कार परीक्षा देनी होगी।
- (9) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनका मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों से किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसे साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (10) मूल प्रमाण-पत्र के सत्यापन के समय अभ्यर्थी को पासपोर्ट आकार के दो स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(11) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(12) जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत होना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को उक्त श्रेणी के आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

(13) देश की किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी का मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

19. सामान्य निर्देश-

(01) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/साक्षात्कार परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें और बोर्ड द्वारा आमंत्रित किये जाने पर साक्षात्कार परीक्षा में बैठें।

(02) बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(03) साक्षात्कार परीक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र साक्षात्कार/प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(04) ऑनलाईन मूल आवेदन-पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(05) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने आवेदन-पत्र, उपस्थिति-सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(06) **हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।**

(07) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा साक्षात्कार में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(08) बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अपलोड किये हैं।

(09) शैक्षिक अर्हता, पेपर प्रकाशन, अनुभव, अधिवास/स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक के ही मान्य होंगे। उसके

पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अनुभव 01 वर्ष से कम होने पर उसे पूर्ण वर्ष नहीं माना जायेगा। अर्थात् 01 वर्ष 11 माह (364 दिन) को 01 वर्ष ही माना जायेगा। पूर्ण वर्ष होने पर ही एक वर्ष माना जायेगा।

(10) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट (www.ukmssb.org) के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(11) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही- अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण देना होगा।

(12) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा-

01. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या
02. साक्षात्कार परीक्षा में दुर्यवहार करना, कक्ष से भाग जाना, साक्षात्कार देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, या
03. साक्षात्कार संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या
04. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही,

(क) बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस साक्षात्कार के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रहा है, और/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है।

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही ही जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

(1) अभ्यर्थी को इस संबन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और

(2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

20. अनुभव प्रमाण पत्र-

अनुभव प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जो कि विभाग/संस्था के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया हो। कृते का उल्लेख करते हुए निर्गत किये हुए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी मेडिकल कालेज के निदेशक/प्रधानाचार्य/प्राचार्य/रजिस्ट्रार ही होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी किस तिथि को नियुक्त हुआ और किस तिथि तक निरन्तर कार्यरत

रहा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुपस्थिति के कारण पुनः कार्यभार ग्रहण किया गया है तो अनुपस्थिति अवधि को अनुभव में आंगणित नहीं किया जायेगा।

21. (क) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस. डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

शासनादेश संख्या-23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ख) क्षेत्रीय आरक्षण एवं अधिकतम आय में छूट (जहाँ अनुमन्य है) की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, जोकि ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत होना अनिवार्य है।

22. परीक्षा पाठ्यक्रम-

- प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर

कुल अंक:- 100

क्र०सं०	विवरण	मूल्यांकन	अंक
1	पेपर प्रकाशन (Paper Publication)	01 प्रकाशन के 5 अंक, अधिकतम-20 अंक नोट: 1-पेपर प्रकाशन एम०सी०आई० द्वारा निर्धारित नवीनतम मानकों के अनुसार मान्य होंगे। 2-पद हेतु न्यूनतम वांछित प्रकाशन के उपरान्त के प्रकाशन के अंक देय होंगे।	20
2	अनुभव (Experience)	पूर्ण 01 वर्ष हेतु 04 अंक, अधिकतम-20 अंक नोट: 1-अनुभव राज्य/केन्द्र/स्वायत्तशासी राजकीय चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कालेज के मान्य होंगे। निजी क्षेत्र का अनुभव, अंक निर्धारण हेतु मान्य नहीं होगा। 2-न्यूनतम निर्धारित अर्हता के बाद के अनुभव के अंक देय होंगे।	20
3	अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (Additional Educational Qualification)	एम०सी०एच०/डी०एम०/डी०एन०बी० सुपर स्पेशलिटी	10
4	साक्षात्कार (Viva)	-	50

- असिस्टेन्ट प्रोफेसर

कुल अंक:- 100

क्र०सं०	विवरण	मूल्यांकन	अंक
1	पेपर प्रकाशन (Paper Publication)	01 प्रकाशन के 5 अंक, अधिकतम-20 अंक नोट: 1-पेपर प्रकाशन एम०सी०आई० द्वारा निर्धारित नवीनतम मानकों के अनुसार मान्य होंगे।	20
2	अनुभव (Experience)	पूर्ण 01 वर्ष हेतु 04 अंक, अधिकतम-20 अंक नोट: 1-अनुभव राज्य/केन्द्र/स्वायत्तशासी राजकीय चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कालेज के मान्य होंगे। निजी क्षेत्र का अनुभव, अंक निर्धारण हेतु	20

		मान्य नहीं होगा।	
3	अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (Additional Educational Qualification)	एम0सी0एच0 / डी0एम0 / डी0एन0बी0 सुपर स्पेशलिटी	10
4	साक्षात्कार (Viva)	—	50

23. पेपर प्रकाशन एम०सी०आई० अधिसूचना संख्या MCI-12(1)/2019-TEQ/89339 दिनांक 12 फरवरी, 2020 एवं भारत का राजपत्र दिनांक 17 फरवरी, 2020 के अनुसार मान्य होंगे।
24. प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर की शैक्षिक अर्हता हेतु एम०सी०आई० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित अनिवार्य न्यूनतम पेपर प्रकाशन एवं अनुभव के उपरान्त के पेपर प्रकाशन तथा अनुभव के अंक देय/अनुमन्य होंगे।
25. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, तत्पश्चात् आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।
26. साक्षात्कार परीक्षा माह **जुलाई-अगस्त, 2020** में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।
27. परीक्षा कार्यक्रम, समय तथा परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश-पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

ह0/-

सचिव,

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।